

DIPLOMA IN PARALEGAL PRACTICE (DIPP)

Term-End Examination

June, 2018

BLE-003 : LAW AND VULNERABLE GROUPS

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

*Note : This question paper has been divided into 3 parts :
Part A, Part B and Part C.*

PART - A

Attempt any two of the following questions in about 600 words. Each question carries 20 marks.

1. Define "Rape". Discuss it as a form of violence against Women. 2x20=40
2. Analyse the main features of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.
3. Define "Atrocity". Discuss the main features of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
4. Discuss the key principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006.

PART - B

Attempt any four of the following questions in about 300 words. Each question carries 10 marks.

5. Define "Dowry". Discuss salient features of the Dowry Prohibition Act, 1961. 4x10=40

6. Discuss the Supreme Court Guidelines on the Sexual Harassment at Workplace as laid down in Vishaka V. State of Rajasthan AIR 1997 SC 3011.
7. Analyse the Constitutional Provisions and Supreme Court judgements relating to the Right to Education.
8. Define "Manual Scavenging". Discuss the law relating to prevention of employment of Manual Scavengers.
9. Analyse the rights of a mentally ill person under the Mental Health Act, 1987.
10. Define "Patriarchy". Discuss the various modes of Patriarchal control.

PART - C

Right short notes on **any four** of the followings in about 150 words. Each question carries 5 marks.

4x5=20

11. Gender Stereotyping.
12. Charity Model of Disability.
13. Problem of Child Labour in India.
14. The Juvenile Justice Model Rules, 2007.
15. Voluntary testing of HIV patients.
16. Rehabilitation Council of India Act, 1992.

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2018

बी.एल.ई.-003 : विधि और संवेदनशील समूह

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : इस प्रश्न पत्र में तीन भाग हैं - भाग क, भाग ख और भाग ग।

भाग - क

निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर (प्रत्येक का) लगभग 600 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।

2x20=40

1. 'बलात्कार' को परिभाषित कीजिए। महिलाओं के प्रति हिंसा के रूप में इसकी चर्चा कीजिए।
2. किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।
3. 'अत्याचार' को परिभाषित कीजिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
4. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी अभिसमय, 2006 के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।

भाग - ख

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर (प्रत्येक का) लगभग 300 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

4x10=40

5. 'दहेज' को परिभाषित कीजिए। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

6. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3011 में निर्धारित किए गए उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों की चर्चा कीजिए।
7. शिक्षा के अधिकार से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का विश्लेषण कीजिए।
8. 'हाथ से मैला उठाना' को परिभाषित कीजिए। हाथ से मैला उठाने वालों को नियुक्त करने की रोकथाम से संबंधित कानून की चर्चा कीजिए।
9. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के अधिकारों का विश्लेषण कीजिए।
10. 'पितृसत्ता' को परिभाषित कीजिए। पितृसत्तात्मक नियंत्रण के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए।

भाग - ग

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर (प्रत्येक पर) लगभग 150 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। 4x5=20

11. लिंग रूढ़िवाद
12. विकलांगता का चैरिटी मॉडल
13. भारत में बाल श्रम की समस्या
14. किशोर न्याय आदर्श नियमावली, 2007
15. एच.आई.वी. रोगियों का स्वैच्छिक परीक्षण (जाँच)
16. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992